

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक— 01/बजट-824/2026— 331/1510/CC

/पटना, दिनांक 07 सितम्बर, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय:-

बंद मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) चीनी मिल की 266 (दो सौ छियासठ) एकड़ भूमि मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० से वापस लेने हेतु Arbitration Court एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० को जयघोष सूद की राशि का भुगतान करने हेतु मो० 35,29,14,958.00 (पैंतीस करोड़ उन्नतीस लाख चौदह हजार नौ सौ अनठावन) रुपये निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय-3 के तहत "समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार" अन्तर्गत बंद चीनी मिलों का पुनः परिचालन एवं नई चीनी मिलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में निविदा के माध्यम से बिहार राज्य चीनी निगम लि० की बंद इकाई-मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) में चीनी मिल की स्थापना हेतु मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० को निविदा के माध्यम से निविदित राशि मो० 56.20 करोड़ रुपये में मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० को मोतीपुर चीनी मिल की भूमि लीज पर हस्तांतरित की गयी थी। मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० द्वारा निविदित राशि का 50 प्रतिशत अर्थात् मो० 28,10,00,000.00 (अठाईस करोड़ दस लाख) रुपये जमा किया गया।

2. मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० द्वारा चीनी मिल की स्थापना के लिए कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि कम भूमि एवं अतिक्रमण का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को जमा की गयी राशि को सूद सहित वापस करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में Arbitrator नियुक्त करने के लिए Request Case No.-03/2016 वाद दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त Arbitrator द्वारा Award पारित कर सूद सहित राशि मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० को वापस करने का आदेश दिया गया। Arbitrator के द्वारा पारित Award के आलोक में मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० के द्वारा Award को Execute कराने हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना में Execution Case No. 43/2020 दायर किया गया। माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा Execution Case No.43/2020 में पारित आदेश निम्नवत है :-

"The award debtors are directed to deposit the award amount along with interest payable, before this court."

3. बंद मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) चीनी मिल की 266 (दो सौ छियासठ) एकड़ जमीन मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० से वापस लेने हेतु आर्बिट्रेशन न्यायालय एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० को भुगतान करने हेतु मो० 63,39,14,958.00 (तिरसठ करोड़ उनचालीस लाख चौदह हजार नौ सौ अनठावन) रुपये व्यय की स्वीकृति दिनांक-08.07.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-6 के रूप में दी गयी है।

4. विधि विभाग के पत्रांक-6849 दिनांक-21.08.2026 के द्वारा जयघोष सूद के राशि की स्वीकृति दी गई है। सूद की राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत माँग संख्या-13, बजट मुख्यशीर्ष-2049-ब्याज अदायगियाँ (प्रभृत), उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य दायितव्यों पर ब्याज, लघुशीर्ष-701-विविध,

उपशीर्ष-0003-विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय विस्तृत शीर्ष-45-ब्याज विषय शीर्ष-01-ब्याज, विपत्र कोड-13-2049607010003 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5. अतः मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० को जयघोष सूद के राशि मो० 35,29,14,958.00 (पैंतीस करोड़ उन्नीस लाख चौदह हजार नौ सौ अनठावन) रुपये के भुगतान हेतु विपत्र कोड-13-2049-60-701-0003 विषय शीर्ष-45 01-ब्याज के माध्यम से निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. स्वीकृत राशि की निकासी विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा विभागीय खाता सं०-38676970864, IFSC Code-SBIN0006379 में अंतरण द्वारा की जायेगी।

7. राशि की निकासी के उपरान्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना द्वारा Execution Case No. 43 of 2020 में दिनांक-28.07.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में मेसर्स इण्डियन पोटाश लिमिटेड के नाम से बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना में जमा किया जाएगा।

8. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति प्राप्त है।

9. प्रस्ताव पर विधि विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति एवं वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश के प्रस्ताव पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 01/बजट-824/2026-371/का/CC /पटना, दिनांक 07 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 01/बजट-824/2026-371/का/CC /पटना, दिनांक 07 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि- विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 01/बजट-824/2026-371/का/CC /पटना, दिनांक 07 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि- सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना एवं अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 01/बजट-824/2026-371/का/CC /पटना, दिनांक 07 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 01/बजट-824/2026-371/का/CC /पटना, दिनांक 07 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि- आई. टी. प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।